Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- करौली में सहायक उप निरीक्षक पुलिस 1500/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 15 मई, गुरूवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी करौली द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री सीताराम उप निरीक्षक पुलिस, इंचार्ज पुलिस कस्बा टोडाभीम पुलिस थाना टोडाभीम जिला करौली द्वारा परिवादी से उसके द्वारा पुलिस थाना टोडाभीम कें दर्ज कराये गये मुकदमा नम्बर 82/2005 में तफ्तीश अधिकारी होते हुये उक्त मुकदमें में परिवादी की मदद करने एवं मुलजिमों को पकडकर उनका चालान करने की एवज में फाईल चार्ज के नाम पर रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 14.05.2025 को **1500/- रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर उक्त मांग के अनुसरण में रिश्वती राशि 1500/- रूपये आज दिनांक 15.05.2025 को परिवादी को पुलिस थाना टोडाभीम पर बुलाकर परिवादी से प्राप्त करनवा एवं प्राप्त की गई 1500/- रू. की राशि उसके कब्जे से बरामद होने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा** ने बताया कि एसीबी चौकी करौली को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी से उसके द्वारा मारपीट के दर्ज कराये मुकदमा में परिवादी की मदद करने एवं मुलजिमों को पकडकर उनका चालान करने की एवज में फाईल चार्ज के नाम पर रिश्वत राशि 1500/- रूपये की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी रेंज भरतपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह** के सुपरविजन में एसीबी करौली चौकी के **पुलिस निरीक्षक श्री जगदीश भरद्वाज** एवं अन्य ने ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री सीताराम, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, इंचार्ज पुलिस चौकी कस्बा टोडाभीम पुलिस थाना जिला करौली को परिवादी से 1500/- रूपये रिश्वत रशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हैं।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।